सीधी भर्ती द्वारा प्रकिया 17. (1) सेवा के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए एक चयन समिति निम्नवत् गठित की जायेगी :-

(क) मा0 अध्यक्ष, विधान सभा — **सभापति;**

(ख) मा0 उपाध्यक्ष, विधान सभा — **उप सभापति;**

परन्तु यह कि यदि उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तो उनके स्थान पर विधान सभा का वरिष्ठतम एक सदस्य;

(ग) मा0 नेता प्रतिपक्ष, विधान सभा — **सदस्य;**

(घ) मा0 संसदीय कार्य मंत्री — **सदस्य;**

(ङ) वित्त विभाग का एक अधिकारी, जो सचिव के पद से अन्यून स्तर का हो — **सदस्य;**

(च) मा0 अध्यक्ष द्वारा नामित अनुसूचित जाति/जनजाति का विधान सभा का एक सदस्य — **सदस्य;**

(छ) प्रमुख सचिव/सचिव विधान सभा — **सदस्य सचिव;**

इस समिति की गणपूर्ति के लिये चार सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी;

परन्तु यह कि यदि इस समिति के कमांक– (घ) एवं (ङ) पर अंकित सदस्य समिति की बैठक आयोजित किये जाने पर निरन्तर तीन अवसरों पर भी उपस्थित न हों तो उस दशा में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों पर अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा;

परन्तु यह और कि जहाँ प्रमुख सचिव/सचिव के पद की सीधी भर्ती की जा रही हो, वहाँ अध्यक्ष द्वारा नामित शासन के कार्मिक या न्याय अथवा विधायी विभाग का प्रमुख सचिव /सचिव सदस्य–सचिव होगा।

(2) चयन समिति समय–समय पर समूह 'ग' के पदों की पूर्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कर सकेगी। प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निम्नलिखित व्यवस्था उपबन्धित होगी :-

(क) प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने की अनुमति के लिए नियुक्त प्राधिकारी विहित प्रपत्र में आवेदन–पत्र मँगायेगा। आवेदन–पत्र भुगतान कर नियुक्ति प्राधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकेंगे;

(ख) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी प्रवेश–पत्र के बिना किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा;

(ग) लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त होने और उनके सारणीकरण के पश्चात् समिति द्वारा नियम 7 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की

आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा, जिन्होंने इस सम्बन्ध में समिति द्वारा नियत मानक के अनुसार अंक प्राप्त किये हो। प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त अंक उसके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़े जायेंगे।

टिप्पणी 1– प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम और नियम समिति द्वारा समय–समय पर विहित किये जायेंगे।

2– चयन समिति प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित किए जाने हेतु किसी संस्था को नामित कर सकेगी।

(3) अध्यक्ष समूह 'घ' के पदों पर सीधी भर्ती के लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार चयन समिति का गठन कर सकेंगे और समिति निर्देशों में विहित प्रक्रिया के अनुसार भर्ती की कार्यवाही के लिए नियुक्ति प्राधिकारी को नाम अग्रेषित कर सकेगी।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

18. (1) सभा के अनुसचिव पद से लेकर सचिव/प्रमुख सचिव तक के पदों पर पदोन्नति हेतु निम्नवत् एक समिति का गठन किया जायेगा :–

(क) मा0 अध्यक्ष, विधान सभा — **सभापति;**

(ख) मा0 उपाध्यक्ष, विधान सभा — **उप सभापति;**

परन्तु यह कि यदि उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तो उनके स्थान पर विधान सभा का वरिष्ठतम एक सदस्य;

(ग) मा0 नेता प्रतिपक्ष, विधान सभा — **सदस्य;**

(घ) मा0 संसदीय कार्य मंत्री — **सदस्य;**

(ङ) वित्त विभाग का एक अधिकारी, जो सचिव के पद से अन्यून स्तर का हो — **सदस्य;**

(च) मा0 अध्यक्ष द्वारा नामित अनुसूचित जाति/जनजाति का विधान सभा का एक सदस्य — **सदस्य;**

(छ) प्रमुख सचिव/सचिव विधान सभा — **सदस्य सचिव;**

इस समिति की गणपूर्ति के लिये चार सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी;

परन्तु यह कि यदि इस समिति के कमांक– (घ) एवं (ङ) पर अंकित सदस्य समिति की बैठक आयोजित किये जाने पर निरन्तर तीन अवसरों पर भी उपस्थित न हों तो उस दशा में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों पर अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा;

परन्तु यह और कि जहाँ प्रमुख सचिव/सचिव के पद की पदोन्नति की जा रही हो, वहाँ अध्यक्ष द्वारा नामित शासन के कार्मिक या न्याय अथवा विधायी विभाग का प्रमुख सचिव /सचिव सदस्य–सचिव होगा।

(2) पदोन्नति द्वारा भर्ती गुणानुक्रम/ज्येष्ठता (जहाँ लागू न हो छोड़ दें) अनुपयुक्त को छोड़कर, के आधार पर नियम 17 के अधीन गठित चयन समिति द्वारा की जायेगी।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गुणानुक्रम के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी और उनकी चरित्र पंजिका तथा उनसे सम्बन्धित अन्य ऐसे अभिलेखों के साथ चयन समिति के समक्ष रखी जायेगी, जो उचित समझे जायं।

(4) चयन समिति द्वारा उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार किया जायेगा और यदि वह आवश्यक समझे तो उसके द्वारा अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया जा सकता है।

(5) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता के आधार पर सूची तैयार कर उसे नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगी।

(6) समूह 'घ' से समूह 'ग' में तथा टंकक से लेकर अनुभाग अधिकारी तक के पदों के पदोन्नति के लिए निम्नवत् एक चयन समिति गठित की जायेगी :-

(क) प्रमुख सचिव/सचिव विधान सभा – **सभापति;**

(ख) अध्यक्ष द्वारा नामित कोई अधिकारी जो कि अपर सचिव के पद से अन्यून स्तर का हो – **सदस्य;**

(ग) नियुक्त प्राधिकारी द्वारा नामित अनुसूचित जाति/जनजाति का एक अधिकारी – **सदस्य;**

(घ) अपर सचिव, विधान सभा – **सदस्य सचिव।**

संयुक्त चयन सूची

19. यदि किसी वर्ष नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती है तो संगत सूचियों से नाम लेकर एक संयुक्त चयन सूची इस प्रकार तैयार की जायेगी, जिससे विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग – छः

नियुक्ति, परिवीक्षा तथा स्थायीकरण

नियुक्ति

20. (1) उपनियम (2) के अध्यधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम इस क्रम में लेकर, जिसमें वे नियम 17 अथवा 18 यथास्थिति, के अधीन बनायी गयी सूचियों में हो, नियुक्ति करेगा।

(2) यदि किसी वर्ष भर्ती नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी है तो नियमित नियुक्तियाँ तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न किया गया हो और नियम 19 के अनुसार संयुक्त सूचियाँ तैयार न की गयी हो।

(3) यदि किसी चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति का आदेश जारी किया जाता है तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें चयनित व्यक्तियों के नाम का उल्लेख चयन में अवधारित ज्येष्ठता के आधार पर या उस कम में यथास्थिति, जिस कम में उनका नाम उस संवर्ग में है, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है, किया जायेगा। यदि नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती है तो नाम नियम 19 में निर्दिष्ट चक्रीय कम में कमांकित किये जायेंगे।

प्रतिनियुक्ति पर सेवा की शर्तें तथा अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही

21. (1) ऐसे निर्बन्धनों के अधीन और ऐसी सीमा तक, जो नियुक्ति प्राधिकारी उत्तरदायी प्राधिकारी तथा वित्त विभाग की सहमति से आदेश द्वारा नियत करे, सचिवालय में प्रतिनियुक्त किसी व्यक्ति को, उसकी सचिवालय में किसी पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि में, सेवा की उन्हीं शर्तों के अधीन रहने की अनुज्ञा दी जा सकेगी, जिनका वह सचिवालय में अपनी प्रतिनियुक्ति के ठीक पूर्व अधिकारी था।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी के मत में सचिवालय में प्रतिनियुक्त किसी व्यक्ति के विरूद्ध अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही करना आवश्यक हो तो उसकी सेवाएं सेवा प्रदाता प्राधिकारी के अधीन पुनः रख दी जायेंगी और प्रारम्भिक जांच से, यदि हुई हो तो, सम्बद्ध पत्रादि भी सेवा प्रदाता प्राधिकारी को भेज दिये जायेंगे।

परिवीक्षा

22. (1) सेवा या किसी स्थायी पद पर या उसके विरुद्ध रिक्ति पर नियुक्त व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पृथक–पृथक मामले में परिवीक्षा का दिनाँक विनिर्दिष्ट करते हुए जब तक अवधि बढाई गयी है, अवधि बढ़ा सकता है, जिसके कारण अभिलिखित करने होंगे;

परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

(3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतीत होता है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या परिवीक्षा अवधि की समाप्ति अथवा परिवीक्षा की बढ़ाई गई अवधि में किसी परिवीक्षाधीन द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा है तो उसे उसके मूल पद पर, यदि कोई है, प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

(4) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो या जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि की संणना के प्रयोजन हेतु उस निरन्तर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्ट संवर्ग में शामिल किये गये पद पर या किसी समान अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थाई रूप में प्रदान की गयी हो।

(6) सचिवालय में किसी पद पर मौलिक नियुक्ति हेतु दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा;

परन्तु यह कि संगत ज्येष्ठता नियमावली के अनुसार अनुसचिव तथा अन्य संवर्गो में अनुसचिव के समकक्ष वेतनमान से ऊपर के वेतनमान वाले पदों पर परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने पर सन्तोषजनक सेवा के आधार पर स्थायी कर दिया जायेगा।

(7) परिवीक्षा अवधि पदभार ग्रहण करने की तारीख से आगणित किया जायेगा।

स्थायीकरण 23. परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति में उसकी परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर स्थायी किया जा सकेगा, यदि उसने :–

(क) विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई है, उत्तीर्ण कर ली हो;

(ख) विहित प्रशिक्षण, यदि कोई है, सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो;

(ग) उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक बताया गया हो;

(घ) उसकी सत्यनिष्ठा अभिप्रमाणित है; तथा

(ङ) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो गया है कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा योग्य है।

ज्येष्ठता 24. (1) एतद्पश्चात् की गई व्यवस्था के अतिरिक्त किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (ज्येष्ठता निर्धारण) नियमावली, 2002 के अनुसार किया जायेगा। यदि दो या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाते हैं तो उनकी ज्येष्ठता उस कम में, निर्धारित की जायेगी, जिसमें उनके नाम उसकी नियुक्ति आदेश में कमांकित किये जाते हैं;

परन्तु यह कि यदि नियुक्ति आदेश में कोई पूर्ववर्ती दिनाँक विनिर्दिष्ट किया जाता है, जिससे कोई व्यक्ति मूल रूप में नियुक्त किया जाता है तो वह दिनाँक उसकी मौलिक नियुक्ति आदेश का दिनाँक माना जायेगा तथा अन्य मामले में इसे आदेश जारी किये जाने का दिनाँक माना जायेगा;

परन्तु यह और कि यदि चयन के पश्चात् किसी के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति आदेश जारी किए जाते हैं तो ज्येष्ठता वह होगी, जो नियम 20 के उपनियम (3) के अधीन जारी किये गये संयुक्त नियुक्ति आदेश में उल्लिखित है।

(2) किसी एक चयन के परिणाम स्वरूप सीधी नियुक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जो यथास्थिति, आयोग या चयन समिति द्वारा अवधारित की जाय;

परन्तु यह कि यदि सीधी भर्ती वाला कोई अभ्यर्थी पद का प्रस्ताव प्रदान किये जाने पर बिना वैध कारणों से कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहता है तो वह अपनी ज्येष्ठता खो सकता है।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जो उनके संवर्ग में थी, जिसमें उन्हें पदोन्नत किया गया है।

(4) जहाँ नियुक्तियाँ पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से अथवा किसी एक स्रोत द्वारा की जाती है और स्रोतों का पृथक–पृथक कोटा विहित है तो परस्पर ज्येष्ठता नियम 20 के अनुसार तैयार की गई संयुक्त सूची के नामों को चक्रीय क्रम में इस प्रकार क्रमांकित कर अवधारित की जायेगी कि विहित प्रतिशत बना रहे;

परन्तु यह कि :–

(क) जहाँ किसी स्रोत से नियुक्तियाँ विहित कोटे से अधिक की जाती है, वहाँ कोटे से अधिक नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में, जिनमें कोटे के अनुसार रिक्तियाँ हो, नीचे कर दी जायेगी;

(ख) जहाँ किसी स्रोत से नियुक्तियाँ विहित कोटे से कम की जाती है और ऐसे रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्तियाँ अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जाती है, वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की किसी पूर्ववर्ती वर्ष से ज्येष्ठता नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें उस वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी, जिस वर्ष उनकी नियुक्ति की गयी। यद्यपि उस वर्ष की संयुक्त सूची में उनका नाम (इस नियम के अधीन तैयार की जाने वाली सूची) चक्रीय कम में अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम से सबसे ऊपर रखा जायेगा।

(ग) जहाँ नियमों या विहित प्रकिया के अनुसार किसी स्रोत से भरी जाने वाली रिक्तियाँ संगत नियम या प्रकिया में उल्लिखित परिस्थितियों में किसी अन्य स्रोत से भरी जा सकती है और इस प्रकार कोटे से अधिक नियुक्तियाँ की जाती है, वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को उसी वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी मानों उसकी नियुक्ति उसके कोटे की रिक्तियों के विरूद्ध की गयी है।

भाग – सात

वेतन आदि

वेतनमान

25. (1) वेतन–क्रम और भत्ते :–

(क) सचिवालय में प्रत्येक संवर्ग के पद का वेतन–क्रम, जिसमें अतिरिक्त वेतन अथवा विशेष वेतन सम्मिलित हैं, निर्वाह व्यय भत्ता तथा अन्य भत्ते वही होंगे, जो सिविल सचिवालय में तत्सम संवर्ग पद के लिए सरकार द्वारा समय–समय पर नियत किए जाएं। यदि सिविल सचिवालय में कोई ऐसा पद न हो जैसा कि सचिवालय में हो, तो उस पद के लिए वेतन–क्रम, जिसमें अतिरिक्त वेतन सम्मिलित है, विधान मण्डल पदमाप निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित किया जायेगा;

(ख) विधान सभा सचिवालय में वर्तमान में विद्यमान प्रतिवेदक, सम्पादक, व्यवस्था अधिकारी, डिप्टी मार्शल, उप पुस्तकाध्यक्ष, सूचना अधिकारी, सहायक जन सम्पर्क अधिकारी, के पदों को अनुभाग अधिकारी / निजी सचिव के समतुल्य वेतनमान देय होगा;

(ग) अवकाश, भत्तों, पेंशन इत्यदि का विनियमन– इस नियमावली के प्राविधानों के अध्यधीन, सेवा के सदस्यों की सेवा–शर्तें राज्यपाल के नियम निर्माण नियन्त्रण के अधीन साधारणतया सरकारी सेवकों के लिये लागू नियमों तथा आदेशों द्वारा विनियमित की जायेगी;